न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

समक्ष :- रामसिंह,
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक/6-एक/97 विरूद्ध आदेश दिनांक 1-5-97 पारित द्वारा न्यायालय अध्यक्ष, म०प्र० राजस्व मण्डल, ग्वालियर निगरानी क्रमांक/आरएन/2-1/आर/546/96

शांताबाई पत्नी श्यामराव,
निवासी ग्राम बड़ेगांव,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल, म०प्र० ---- आवेदिका

विरूद्ध

1- श्यामराव पुत्र चैपा
2- रघुनाथ आत्मज चैपा
निवासीगण बड़ेगांव, तहसील मुलताई,
जिला बैतूल, म०प्र०
3- मध्यप्रदेश शासन ---- अनावेदकगण

श्री सुभाष शर्मा, अभिभाषक आवेदिका
श्री राजाराम शर्मा अभि० अना० 1 व 2
श्री अखिल सिन्हा, अभि० अनावेदक-शासन

:: आ दे श ::

(दिनांक 14 जनवरी, 2000 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा गया है) की धारा 51 - के तहत तत्कालीन अध्यक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण क्रमांक/आरएन/2-1/आर/546/96 में पारित आदेश दिनांक 1-5-97 के विरूद्ध पेश की गई है ।

रिव्यू 6-ए/97 बैतूल

1.3.2016

आवेदिका की ओर से श्री के०के० द्विवेदी अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से श्री बी०एन० त्यागी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 6-ए/97 में पारित आदेश दिनांक 14.1.2000 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पुनर्विलोकन आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन विधि के ~~क~~ प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है।

(हस्ताक्षर)